पत्र सं०–6 एस०एस०(6)82 / 2026– 6010 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक),
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 06 / 11 / 2026.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– **मंत्रिपरिषद्।

विषय :– **सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अन्तर्गत टेक होम राशन (THR) घटक हेतु रेसिपी आधारित सुदृढ़ीकृत खाद्य उत्पाद (RBFFP) की आपूर्ति के लिए कॉम्फेड को गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (Quality and Cost Based Selection- QCBS) पद्धति से निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं के चयन पी०पी०पी० मोड में 15 वर्षों के लिए BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) आधार पर करने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अन्तर्गत टेक होम राशन (THR) घटक हेतु रेसिपी आधारित सुदृढ़ीकृत खाद्य उत्पाद (RBFFP) की आपूर्ति के लिए कॉम्फेड को गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (Quality and Cost Based Selection-QCBS) पद्धति से निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं के चयन पी०पी०पी० मोड में 15 वर्षों के लिए BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) आधार पर करने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अन्तर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम के माध्यम से 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत टेक होम राशन के माध्यम से लाभार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। कार्यक्रम के पोषण संबंधी उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के दृष्टिकोण से पारंपरिक शुष्क राशन के स्थान पर वैज्ञानिक रूप से विकसित, रेसिपी आधारित, सुदृढ़ीकृत एवं फोर्टिफाइड खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

3. इस संबंध में दिनांक–01.07.2026 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में पूरक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत टेक होम राशन के माध्यम से रेसिपी आधारित पोषणयुक्त खाद्य उत्पाद की आपूर्ति के संबंध में विचार–विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि टेक होम राशन के लिए रेसिपी आधारित पोषणयुक्त खाद्य उत्पाद की आपूर्ति कॉम्फेड के माध्यम से की जाएगी।

4. कॉम्फेड कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी होगी, निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन Request for Proposal (RFP) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पोषण आहार की संरचित एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

5. मंत्रिपरिषद् की दिनांक–20.07.2026 की बैठक में प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में समाज कल्याण विभाग (आई०सी०डी०एस० निदेशालय), बिहार, पटना के संकल्प संख्या–3743, दिनांक–24.07.2026 द्वारा टेक होम राशन के अन्तर्गत परंपरागत शुष्क राशन के स्थान पर Ready-to-Cook (RTC)/Ready-to-Eat (RTE) रेसिपी आधारित सुदृढ़ीकृत खाद्य उत्पाद (RBFFP) की आपूर्ति हेतु बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लि० (कॉम्फेड) को नामित एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में आवश्यकतानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा ही मेनू/पूरक पोषाहार सामग्री में परिवर्तन किया जायेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार के दर में परिवर्तन होने की स्थिति में ही दर में संशोधन किया जायेगा।

7. इस हेतु खाद्यान्न आवश्यकतानुसार भारतीय खाद्य निगम/बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज के माध्यम से बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि० को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. राशि की निकासी आई०सी०डी०एस० निदेशालय द्वारा कोषागार, पटना से की जायेगी। निकासी उपरांत यह राशि बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि० को उपलब्ध कराई जायेगी। बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि० द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित रेडी–टू–कुक/रेडी–टू–ईट प्री–मिक्स सामग्री बाल विकास परियोजनाओं कार्यालयों के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

9. RBFFP सामान्य खाद्यान्न की श्रेणी का उत्पाद न होकर वैज्ञानिक रूप से विकसित, पोषण–सुदृढ़ीकृत एवं फोर्टिफाइड खाद्य उत्पाद है। इसका उपयोग मुख्यतः बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों जैसे संवेदनशील लाभार्थी वर्गों द्वारा किया जाना है। अतः इस उत्पाद के चयन में केवल न्यूनतम वित्तीय दर को आधार बनाना उपयुक्त नहीं होगा। उत्पाद की पोषण गुणवत्ता,

खाद्य सुरक्षा, उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण RBFFP के आपूर्ति का अनुभव, आपूर्ति क्षमता तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप निरंतर गुणवत्ता बनाए रखने की क्षमता को भी समान रूप से महत्व दिया जाना है।

10. निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं के चयन हेतु गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (QCBS) पद्धति अपनाया जाना है। QCBS पद्धति के माध्यम से तकनीकी गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन स्थापित करते हुए कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन किया जा सकेगा। चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को समुचित महत्व दिया जाएगा :–

(क) पोषण गुणवत्ता :– निर्धारित पोषण मानकों एवं फोर्टिफिकेशन आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लक्षित लाभार्थियों को निर्धारित पोषण तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(ख) तकनीकी क्षमता :– चयनित निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं के पास उपयुक्त उत्पादन अवसंरचना, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली तथा आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध होना अपेक्षित होगा।

(ग) गुणवत्ता आश्वासन :– अनुबंध की संपूर्ण अवधि के दौरान उत्पाद की पोषण संरचना, स्वाद, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक होगा।

(घ) बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता :– राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं पात्र लाभार्थियों तक नियमित एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उत्पादन, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण क्षमता का होना आवश्यक होगा।

(ङ) ट्रेसबिलिटी एवं निगरानी :– उत्पाद के उत्पादन से लेकर अंतिम आपूर्ति तक की प्रक्रिया की निगरानी एवं ट्रैकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो। उत्पाद के बैच, उत्पादन, परीक्षण, भण्डारण एवं आपूर्ति से संबंधित आवश्यक अभिलेखों के संधारण की व्यवस्था भी होनी चहिए।

(च) लागत एवं गुणवत्ता का संतुलन :– QCBS पद्धति के माध्यम से तकनीकी गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रस्ताव को समुचित महत्व देते हुए कार्यक्रम के लिए गुणवत्ता एवं लागत दोनों की दृष्टि से उपयुक्त निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन किया जाएगा।

11. कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली विकसित की जाएगी। इस व्यवस्था में कॉम्फेड, आई०सी०डी०एस०

तथा संबंधित उत्पादन इकाई के स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण एवं निगरानी की व्यवस्था रहेगी। इससे उत्पाद की निर्धारित पोषण संरचना, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की निरंतर निगरानी की जा सकेगी तथा किसी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

12. निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन Request for Proposal (RFP) प्रक्रिया के माध्यम से QCBS पद्धति अपनाकर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में निर्धारित तकनीकी मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं के तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। चयनित एजेंसी के साथ आवश्यक निविदा कॉम्फेड द्वारा निष्पादित की जाएगी तथा निविदा में उत्पाद की गुणवत्ता, पोषण मानक, खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति की मात्रा एवं नियमितता, गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी, ट्रेसबिलिटी तथा अन्य आवश्यक शर्तों का समुचित प्रावधान किया जाएगा।

13. चयनित निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन पी०पी०पी० मोड में 15 वर्षों की अवधि के लिए BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) आधार पर किया जाएगा। इसके अन्तर्गत चयनित एजेंसी द्वारा निर्धारित शर्तों एवं निविदात्मक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक उत्पादन एवं संबंधित अवसंरचना की व्यवस्था करते हुए कार्यक्रम के लिए RBFFP का उत्पादन एवं आपूर्ति किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि के उपरान्त निविदा की शर्तों के अनुसार आवश्यक हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी।

14. कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लि० (कॉम्फेड), पटना का होगा। कॉम्फेड द्वारा आई०सी०डी०एस० निदेशालय, समाज कल्याण विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पोषण आहार की संरचित, नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करना कॉम्फेड का दायित्व होगा।

15. कॉम्फेड यह भी सुनिश्चित करेगा कि अनुबंध अवधि के दौरान RBFFP की निर्धारित पोषण संरचना, स्वाद, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों की निरंतरता बनी रहे। इसके लिए उत्पादन इकाइयों के स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण, नियमित परीक्षण, नमूना संग्रहण, परीक्षण रिपोर्ट के संधारण तथा आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी एवं ट्रैकिंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

16. राष्ट्रीय स्तर पर पोषण कार्यक्रमों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए टेक होम राशन के अन्तर्गत केवल कैलोरी आधारित खाद्यान्न वितरण के स्थान पर पोषण–केंद्रित, फोर्टिफाइड एवं गुणवत्ता–सुनिश्चित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति पर बल दिया गया है। मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्यों के अनुरूप पोषण गुणवत्ता,

फोर्टिफिकेशन, खाद्य सुरक्षा, परीक्षण, लेबलिंग, निगरानी एवं ट्रेसबिलिटी जैसे पहलुओं को महत्व दिया जायेगा।

17. उक्त के आलोक में मंत्रिपरिषद् द्वारा निम्नवत् निर्णय लिए गए हैं :–

(i) सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अन्तर्गत टेक होम राशन घटक हेतु RBFFP की आपूर्ति कॉम्फेड के माध्यम से की जाएगी।

(ii) कॉम्फेड इस कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी होगी।

(iii) कॉम्फेड द्वारा RFP प्रक्रिया के माध्यम से QCBS पद्धति अपनाकर योग्य निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन किया जाएगा।

(iv) चयन प्रक्रिया में पोषण गुणवत्ता, तकनीकी क्षमता, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, उत्पादन, आपूर्ति अनुभव एवं आपूर्ति क्षमता, ट्रेसबिलिटी एवं निगरानी तथा लागत एवं गुणवत्ता के संतुलन को समुचित महत्व दिया जाएगा।

(v) निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन पी०पी०पी० मोड में 15 वर्षों की अवधि के लिए BOOT आधार पर किया जाएगा।

(vi) चयनित एजेंसी के साथ आवश्यक निविदा कॉम्फेड द्वारा निष्पादित की जाएगी।

(vii) आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पोषण आहार की संरचित, नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

(viii) उत्पाद की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता परीक्षण एवं निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी।

18. टेक–होम राशन, रेडी–टू–कुक, रेडी–टू–इट रेसिपी आधारित पोषाहार की आपूर्ति से संबंधित योजना का कार्यान्वयन मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत निर्णय एवं विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा दिये गये विधिक परामर्श के आलोक में की जायेगी।

19. परियोजना अवधि के दौरान चयनित ऐजन्सी द्वारा सभी निर्धारित शर्त्तों, गुणवत्ता मानकों एवं संविदात्मक दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20. निविदा की समस्त प्रक्रिया बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 एवं बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2024 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप पारदर्शी, प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न की जायेगी।

21. गैर–परामर्शी सेवा/कार्य के अंतर्गत QCBS पद्धति अपनाने के संबंध में बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित की जायेगी।

22. निविदा में निर्धारित तकनीकी एवं वित्तीय अर्हत्ता, नेटवर्थ, वार्षिक टर्न–ओवर, अनुभव, उत्पादन क्षमता एवं EMD संबंधी शर्त्तें परियोजना की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुरूप तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण रखी जाएँगी। इन शर्त्तों के निर्धारण का आधार निविदा समिति द्वारा अभिलेख पर स्पष्ट रूप से दर्ज किया

जायेगा तथा मूल्यांकन पूर्व निर्धारित एवं प्रकाशित मानदण्डों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रभावित नहीं हो। साथ ही, योग्य एजेन्सियों के चयन एवं आवश्यकतानुसार शर्त्तों में परिवर्तन के संबंध में नियमानुसार विचार करते हुए सक्षम स्तर से पूर्वानुमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

23. सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के उपरांत ही न्यूनतम अथवा गारंटीकृत आपूर्ति मात्रा निर्धारित की जायेगी।

24. कार्यादेश निर्गत नहीं किये जाने अथवा मात्रा में कमी के आधार पर एजेन्सी द्वारा लाभ की हानि, निष्क्रिय क्षमता अथवा अन्य किसी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा।

25. कॉम्फेड द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन, उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, वितरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा तथा इसके लिए प्रभावी निगरानी एवं शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जायेगी।

26. पोषाहार की गुणवत्ता, निर्धारित पोषण मानक, खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का अनुपालन अनिवार्य होगा। उत्पादों को नियमित नमूना परीक्षण मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर निविदा/अनुबंध के प्रावधानों के आधार पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

27. एजेन्सी को भुगतान वास्तविक रूप से प्राप्त एवं सत्यापित आपूर्ति, निर्धारित दर तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम भुगतान की स्थिति में निविदा/अनुबंध में निर्धारित सुरक्षा एवं बैंक गारंटी की शर्त्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

28. परियोजना के अंतर्गत निजी एजेन्सी द्वारा स्थापित परिसम्पत्तियों का परियोजना अवधि समाप्त होने पर मंत्रिपरिषद् से स्वीकृत PPP-BOOT व्यवस्था एवं निष्पादित संविदा की शर्त्तों के अनुसार कम्फेड को हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जायेगा।

29. परियोजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दायित्व अथवा स्वीकृत प्रावधान से इतर व्यय सक्षम प्राधिकार की पूर्व स्वीकृति एवं आवश्यक वित्तीय सहमति के बिना नहीं किया जायेगा।

30. परियोजना के क्रियान्वयन से संबंधित सभी वित्तीय अभिलेख, निविदा अभिलेख, अनुबंध, आपूर्ति आदेश, गुणवत्ता परिक्षण रिपोर्ट, भुगतान विवरण एवं उपयोगिता संबंधी अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगें तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराये जायेंगें।

31. चयनित एजेन्सी द्वारा संविदा के किसी भी शर्त्त का उल्लंघन किये जाने, गुणवत्ता में कमी, अनियमितता अथवा निर्धारित दायित्वों को निर्वहण में विफल रहने की

स्थिति में संविदा में निहित प्रावधानो के अनुसार दण्ड, बैंक गारंटी की जब्ती एवं संविदा समाप्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।

32. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–01.07.2026 को आयोजित बैठक के निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

33. दिनांक–20.07.2026 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में THR हेतु RBFFP की आपूर्ति के लिए कॉम्फेड को नामित एजेंसी के रूप में स्वीकृति दी गयी है।

34. विधि विभाग के द्वारा विधिक्षा की गयी है।

35. इस राज्यादेश में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त योजना का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत निर्णय, प्रचलित नियमों एवं निष्पादित संविदा के प्रावधानों के अधीन होगा।

36. प्रस्ताव पर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति प्राप्त है, संचिका सं०–6 एस०एस०(6)82/2026 के पृष्ठ–25/टि० तथा दिनांक–23.09.2026.

37. प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, वित्त विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति प्राप्त है, संचिका सं०–6 एस०एस०(6)82/2026 के पृष्ठ–29/टि० तथा दिनांक–23.09.2026.

38. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक–201/वि०, दिनांक–13.03.2025 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–30.09.2026 की बैठक में मद संख्या–07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)82/2026 के पृष्ठ–31/टि०.

39. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)82/2026 के पृष्ठ–33/टि० तथा डायरी सं०–763, दिनांक–06.11.2026.

40. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

7 Typed by Sanjay Kumar

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)82 / 2026– 6010 / पटना–15, दिनांक– 06 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा / बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)82 / 2026– 6010 / पटना–15, दिनांक– 06 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)82 / 2026– 6010 / पटना–15, दिनांक– 06 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना / निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)82 / 2026– 6010 / पटना–15, दिनांक– 06 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा / योजना शाखा / लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)82 / 2026– 6010 / पटना–15, दिनांक– 06 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक–30.09.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–07 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)82 / 2026– 6010 / पटना–15, दिनांक– 06 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा–06 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)82 / 2026– 6010 / पटना–15, दिनांक– 06 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11

सरकार के संयुक्त सचिव